विविध **बैंक प्रकरण संख्या 87/2019** (RCMS 2019/00142) ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कार्यालय पदमपुर 145–146 मुख्य मार्केट, पदमपुर, श्रीगंगानगर बनाम श्री दरबारा सिह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गांव पोस्ट 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

04.12.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिकृत कार्यकर्त्ता श्री रवि यादव का कथन है कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी दरबारा सिह को ऋण सुविधा के रूप में 4.00 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दरबारा सिंह की सम्पत्ति Hypothecation of Tractor bearing Registration No. RJ 13/RA 0621, Make-Indo Farmtrac & Motors Lts, Model 2005, Chasis No. KMS5000101/EP, Engine No. P240313A प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 25.09.2010 अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.12.2018 को कुल 9,68,142/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 14.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर हो चुकी है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी दरबारा सिंह की सम्पत्ति Hypothecation of Tractor bearing Registration No. RJ 13/RA 0621, Make-Indo

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Farmtrac & Motors Lts, Model 2005, Chasis No. KMS5000101/EP, Engine No. P240313A का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी दरबारा सिंह को 4. 00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 16.09.2005 प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी दरबारा सिंह की सम्पत्ति Hypothecation of Tractor bearing Registration No. RJ 13/RA 0621, Make-Indo Farmtrac & Motors Lts, Model 2005, Chasis No. KMS5000101/EP, Engine No. P240313A जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार **अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 25.09.2010 अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया था।** बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 14.01.2019 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर डाक से भिजवाया गया है जिसकी रसीद एवं प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पत्ति Hypothecation of Tractor bearing Registration No. RJ 13/RA 0621, Make-Indo Farmtrac & Motors Lts, Model 2005, Chasis No. KMS5000101/EP, Engine No. P240313A जो दरबारा सिंह

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के नाम से है का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.01.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 14.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी दरबारा सिंह के नाम जारी किये गये है। धारा 13(2) के जारी किये गये नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं नोटिस प्राप्ति का पोस्ट ऑफिस का ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही बैंक के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री दरबारा सिंह द्वारा बंधक रखी गई उक्त चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **चल** सम्पत्ति Hypothecation of Tractor bearing Registration No. RJ 13/RA 0621, Make-Indo Farmtrac & Motors Lts, Model 2005, Chasis No. KMS5000101/EP, Engine No. P240313A जो कि ऋणी दरबारा सिंह के नाम से

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर